

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

768-दि-01/08/12
सामान्य नगर विभाग
नगर विभाग, कानपुर

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2012

विषय:- नगरीय स्थानीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि तथा 12वें/13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि की विकास कार्यों के सम्बन्ध में उपयोग हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 710/9-9-2008-199ज/2006 दिनांक 27.02.2008 द्वारा अवस्थापना विकास निधि व 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर अनुमोदन/स्वीकृति यथा स्थिति मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के स्तर से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त व्यवस्था को शासनादेश संख्या-268/9-9-2010-153ज/2001 दिनांक 07मार्च, 2010 द्वारा समाप्त करते हुये प्रश्नगत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के आगणन/निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान हेतु सम्बन्धित निकाय को अधिकृत किया गया था।

2- अग्रतर प्रकरण में विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1306/9-9-10-199ज/2006 दिनांक 18.06.2010 द्वारा शासनादेश संख्या-268/9-9-2010-153ज/2001 दिनांक 07 मार्च, 2010 की व्यवस्था को समाप्त करते हुये उक्त शासनादेश संख्या-710/9-9-2008-199ज/2006 दिनांक 27.02.2008 द्वारा की गयी व्यवस्था को प्रभावी रखने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3- नगरीय निकायों को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के दृष्टिगत कार्यों के आगणन, व्यय की अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने में आने वाली

hgg-1

CAO/
Ame-I, II/CE

me
नगर आयुक्त
नगर विभाग, कानपुर

CAO/CAO/CE/
C.F.(RL)

नगर आयुक्त
नगर विभाग, कानपुर

कठिनाइयों एवं विकास कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करने आदि के बिन्दु पर पुनः विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-268/9-9-2010-153ज/2001 दिनांक 07 मार्च, 2010 की व्यवस्था को ही प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की व्यवस्था समाप्त करते हुए शासनादेश संख्या-268/9-9-2010-153ज/2001 दिनांक 07 मार्च, 2010 द्वारा की गयी व्यवस्था यथा प्रभावी रहेगी, जिसके अनुसार 12वें/13वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों के आगणन, निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान हेतु निकाय सक्षम होगी और इस हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन/हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1- निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- समस्त महापौर/नगर आयुक्त नगर निगम उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)।
- 4- वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
21/3/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।